तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 71/2018 प्रेमदेवी vs कैलाश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/19	वकील उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र बाबत दायरी पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 1000/-रु (एक हजार रुपये) कोस्ट पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल अपील रेस्टोर की जाती है। वकील प्रार्थी कोस्ट की राशि राजकोष में जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली हमरिश्ता अपील रहे। आदेश सुनाया गया। ह०/ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

2018/00153

प्रा. पत्र वाद
71/2018

समक्ष न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :–

श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री मोहर सिंह जाति गुर्जर 70...वर्ष निवासी ग्राम पीपलकी, तहसील सिकराय जिला दौसा राज0

अपीलान्ट/प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश
2. जगदीश

पुत्रान श्री आनन्दा गुर्जर निवासी ग्राम गिरधरपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा राज0

अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्टस

3. नितेश सर्विस सेन्टर गिरधरपुर जरिए निदेशक श्री विश्राम पुत्र श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम कंचनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0
4. ग्राम पंचायत कैलाई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत कैलाई तह0 सिकराय जिला दौसा राज0
5. राजस्थान वित निगम जयपुर शाखा आगरा रोड दौसा जरिए शाखा प्रबन्धक कार्यालय आगरा रोड दौसा राज0

अप्रार्थीगण/तरतीबी रेस्पोन्डेन्टस

<u>प्रार्थना पत्र बाबत बाज दायरी</u>

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रथम अपील प्रार्थीया द्वारा अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपील संख्या 07/2009 उनवान कैलाश बनाम जगदीश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.12.2010, के विरुद्ध प्रस्तुत की जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश से नामान्तरण संख्या 305 दिनांक 27.10.2004 को खारिज कर फरमा दिया गया के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
2. यह कि उपरोक्त उनवानी अपील में प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता पैरवी के लिए उपस्थित होते थे एवं उनके द्वारा प्रार्थीया अपीलार्थी को कहा गया कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी उन्हें सूचित कर बुलवा लेंगे।
3. यह कि उपरोक्त उनवानी अपील में दिनांक 11.04.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की उपरोक्त अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमाकर पत्रावली फैसल शुमार के आदेश फरमा दिये गये जिसका इल्म प्रार्थीया को कभी भी नहीं रहा। प्रार्थीया इस विश्वास में रही कि उनके अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उपस्थित होकर पैरवी की जा रही है एवं जब भी उनकी आवश्यकता होगी वे उन्हें सूचित कर बुलवा लेंगे।
4. यह कि प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से कई बार फोन द्वारा संपर्क करके अपने मुकदमे